प्रकरण संख्या 66/2016 धारू व अन्य बनाम सवजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन पर बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के वाद के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह पर विचाराधीन थी तथा दिनांक 18.12.2012 को वादी ने आदेश 7 नियम 14 जा. दी. का एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर जवाब बहस के लिए पत्रावली लम्बित थी। आश्चर्य जनक रूप से दिनांक 18.12.2012 से लेकर दिनांक 06.04.2016 तक वादी की साक्ष्य जिरह एवं प्रार्थना पत्र के जवाब बहस के लिए पत्रावली लम्बित रही तथा प्रकरण में दिनांक 06.04.2016 को आगामी पेशी दिनांक 06.06.2018 के लिए नियत की गयी, परन्तु 06.06.2018 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 08.06.2018 को लोक अदालत में रखकर प्रतिवादी/अपीलान्ट को सूचित किये बिना व सुने बिना तथा वादी की साक्ष्य लिये बिना एवं साक्ष्य सबूतों का बिना विवेचन किये प्रकरण में दिनांक 04.07.2016 को निर्णय पारित किया कि ''वादी द्वारा सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में वादी को आवंटित भूमि की तरमीम नामान्तरकरण के आधार पर मौके पर जाचं करने की डिक्री जारी हो।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय में बेदखली की भी डिक्री पारित कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना मनमकसूद तरीके से जो निर्णय पारित किया है वह विधिक दृष्टि से प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल होकर न्यायालय के समय की बर्बादी के साथ पक्षकारों के साथ नाइंसाफी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अत्यन्त बेहुदा होकर अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2016 अपास्त की	

जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य से जिरह करवाकर मुतफरिक आवेदन का निस्तारण कर तथा प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 66/2016 धारू व अन्य बनाम सवजी व अन्य